IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0 एफ.4(7)अपशिष्ट प्रबन्ध / विधि / पंरा / 2019 / 3258 जयपुर, दिनांकः 08-01-2020

Urgent

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद, समस्त (राजस्थान)।

विषय :– सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 की कियांविति हेतु उपविधियां (Bye-laws) अधिसूचित करवाये जाने बाबत।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक 565 दिनांक 24.6.2019 ,1765 दिनांक 29.8.2019 एवं 2885 दिनांक 11.10.2019 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्रो की पालना में आप द्वारा ज़िला परिषद् की साधारण सभा की विशेष बैठक दिनांक 13.9.2019 तक आयोजित कर उपविधियों (Bye-laws) के प्रारूप को इस बैठक में अनुमोदित / पारित करवाया जा कर, अनुमोदित / पारित उपविधियों (Bye-laws) को राजपत्र में दिनांक 16.9.2019 तक प्रकाशित करवाया जाना था। इस प्रकार से आप द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना भी विभाग को प्रेषित की जानी थी।

खेद का विषय है कि अभी तक आप द्वारा उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही की सूचना विभाग को प्रेषित नहीं की गई है। उक्त प्रकरण माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में लम्बित Original Application No. 606/2018 में पारित आदेश दिनांक 16.1.2019 की पालना से सम्बन्धित है, जिसमें मुख्य सचिव महोदय की ओर से पालना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना है। अतः आप अपना व्यक्तिगत ध्यान देकर अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन किये जाने की सूचना **तीन दिवस में आवश्यक रूप से** पंचायती राज विभाग एवं निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(डॉ0 आरुषी मलिक)
विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एवं पं0 राज, जयपुर।
2. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राजस्थान, जयपुर ।
3. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।
4. एसीपी कम उप निदेशक, पंचायती राज को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु ।

उपायुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव(प्रथम)

Scanned by CamScanner